**संख्या-477/2016/6658जेएल/22-3-16-800(174)/2016**

**प्रेषक,**

**हरि नारायण गिरि,**
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
प्रतापगढ़।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2016***

**विषय-** केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बंदी समद पुत्र श्री लियाकत अली को पैरोल की स्वीकृति।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बंदी समद पुत्र श्री लियाकत अली, निवासी-ग्राम-सरायं राजा, थाना-मानधाता, जनपद-प्रतापगढ़ को शासनादेश संख्या-395/2016/4945जेएल/22-3-16-800(174)/2016, दिनांक 19-10-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

**संख्या-477/2016/6658जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(हरि नारायण गिरि)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in